

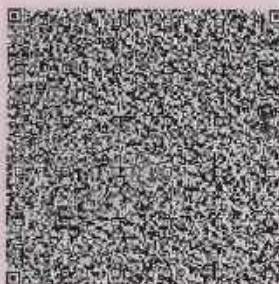


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ01697645212983M
Certificate Issued Date	: 11-Nov-2014 03:50 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ rjshcil01/ AJMER I/ RJ-AJ
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJSHCIL0101782042055075M
Purchased by	: TAK SHIKSHA NIKETAN SAMITEE TH RENUKA AND RAKESH
Description of Document	: Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	: KH NO 1378 1406 GRAM LOHAGAL AJMER
Consideration Price (Rs.)	: 8,60,173 (Eight Lakh Sixty Thousand One Hundred And Seventy Three only)
First Party	: ADA AJMER
Second Party	: TAK SHIKSHA NIKETAN SAMITEE TH RENUKA AND RAKESH
Stamp Duty Paid By	: TAK SHIKSHA NIKETAN SAMITEE TH RENUKA AND RAKESH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 43,010 (Forty Three Thousand And Ten only)



Please write or type below this line

राजेश कुमार

11 Nov 2014

उप पंजीयक अजमेर द्वितीय

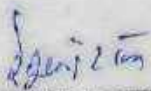
XM 0001526686

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.sacilestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website render it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of this certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

आज दिनांक 11 माह November सन् 2014 को 16:16 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RENUKA TAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAKESH TAK
उम्र 45 वर्ष, जाति MALI व्यवसाय SERVICE
निवासी TAK SHIKSHA NIKETAN SAMITEE NAYA BADA POLICE LINE AJMER
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।


हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2
(2014009860)
(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))

रसीद नं० 2014011230 दिनांक 11/11/2014
पंजीयन शुल्क रु० 8610/-
प्रतिलिपि शुल्क रु० 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रु० 0/-
अन्य शुल्क रु० 4340/-
कमी रटाम्प शुल्क रु० 0/-
कुल योग रु० 13220/-

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection centre at www.shcilestamp.com free of cost."
(2014009860) address in the above certificate is AJMER-2
(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Cover features"



000125888



कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक

14957

4732

दिनांक: 26/11/14

लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की योजना / राजस्व ग्राम

खसरा नम्बर 1378/1406 की भूखण्ड संख्या / आवास गृह सं.

श्री/श्रीमती/सुश्री श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

द्वारा प्राधिकरण से

आवंटन/नीलामी/नियमन द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसकी वर्तमान लीज राशि रु.

69065.00 प्रति वर्ष है व राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन

विभाग की अधिसूचना संख्या प-10 यू.डी. एच/गुप-1/84 दिनांक 25-6-92 एवं संशोधन

अधिसूचना दिनांक 15-01-02 की पालना में एक बारीय नगर निर्धारण (लीज राशी) भू-

किराया राशि जो वार्षिक शहरी जमाबंदी की आठ गुना के बराबर राशि रुपये

552522.00 जरिये रसीद/चालान संख्या

161280 दिनांक 5/6/14 के द्वारा जमा करा दी है।

अतः इन्हें भविष्य में लीज राशि के दायित्व से छूट दी जाती है।



उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर (राज.)

क्रमांक 10

$$\begin{array}{r} 4296 \\ 98 \overline{) 4296} \end{array}$$

त में जहां कहीं
त हुआ है।

उप पंजीयक अजमेर द्वितीय

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जाएगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधरक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधरक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधरक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधरक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधरक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लाघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा और जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदायी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

राजेश कुमार
लीजधरक के हस्ताक्षर

२४/०५

सचिव

टाक शिक्षा निकेतन समिति
अजमेर

ह. र.
प्रभारी अधिकारी नियमन

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर

परिशिष्ट :

कस्बे का नाम अजमेर पूर्व.....पश्चिम.....भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो.....
 राजस्व ग्राम.....सीमा उत्तर.....दक्षिण.....मानचित्र संलग्न है।
 योजना का नाम.....
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
 वर्गगज/मीटर.....
 इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारिखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20... के माह... के... वे दिन
 श्री..... ने निम्न उपस्थिति में
 (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

साक्षी :-

- नाम.....
 पुत्र श्री.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....
- नाम.....
 पुत्र श्री.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

लीज धारक की ओर से

आज..... सन् 20... के माह.....
 के..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में
 उक्त श्री.....
 लीजधारक द्वारा कार्यालय..... में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

- नाम.....
 पुत्र श्री.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....
- नाम.....
 पुत्र श्री.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 (प्रभारी अधिकारी नियमन)
 नगर निकाय, अजमेर
 अध्यक्ष



रावेराडुनार...
 लीजधारक-द्वितीय पक्ष सचिव
 20... 20... हाक शिक्षा निकेतन समिति
 अजमेर

साक्षी

साक्षी

पुलिस थारन नया बाड़ा अजमेर

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1-RENUKA TAK/RAKESH TAK

Age:45, Caste-MALI

Ocu.-SERVICE

R/O-TAK SHIKSHA NIKETAN SAMITEE NAYA BADA
POLICE LINE AJMER

2-RAKESH KUMAR TAK /VEER SINGH

Age:48, Caste-MALI

Ocu.-SERVICE

R/O-TAK SHIKSHA NIKETAN SAMITEE NAYA BADA
POLICE LINE AJMER

(And Claimant)

1-ADA AJMER /ADA AJMER

Age:0, Caste-

Ocu.-

R/O-ADA AJMER

ने लेख्यपत्र LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री PRAVEEN KUMAR

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ SINGH उम्र 46 वर्ष

जाति MALI व्यवसाय BUS

निवासी CHOUHAN NAGAR AJMER



2. श्री/श्रीमती/सुश्री KUNJ BIHARI

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHANWAR LAL उम्र 24 वर्ष

जाति MEGHWANSHI व्यवसाय BUSS

निवासी BHOPO KA BADA AJMER ने की है जिनके



समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2014009860)

उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))

आज दिनांक 11/11/2014 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 409

में पृष्ठ संख्या 198 क्रम संख्या 2014007919 पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1636

के पृष्ठ संख्या 349 से 356 पर

चरपा किया गया।



(2014009860)

उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))



क्रमांक

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

दिनांक: 17-05-2010

लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की योजना / राजस्व ग्राम लोहागल

खसरा नम्बर 1378 की भूखण्ड संख्या / आवास गृह सं. —

श्री/श्रीमती/शुश्री रमेश राय पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रोकेन्द्र कुमार

द्वारा प्राधिकरण से

आवंटन / नीलामी / नियमन द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसकी वर्तमान लीज राशि रु.

52526/- प्रति वर्ष है व राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन

विभाग की अधिसूचना संख्या प-10 यू.डी. एच/गुप-1/84 दिनांक 25-6-92 एवं संशोधन

अधिसूचना दिनांक 15-01-02 की पालना में एक बारीय नगर निर्धारण (लीज राशी) भू-

किराया राशि जो वार्षिक शहरी जमाबंदी की आठ गुना के बराबर राशि रूपये

420208/- जरिये रसीद/चालान संख्या

100273 दिनांक 12-05-2010 के द्वारा जमा करा दी है।

अतः इन्हें भविष्य में लीज राशि के दायित्व से छूट दी जाती है।

उपायुक्त

अजमेर विकास प्राधिकरण

अजमेर (राज.)

मुद्रांक : मध्य प्रदेश, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक 2204

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2010 के माह मई सुधार न्यास, अजमेर प्रथम पक्ष एवं सु. श्री/श्री एक शिक्षा निकेतन पुत्र/पुत्री श्री जयम अचिव निवासी रतूका टंक पत्नी शकुन्ता कुमारी लोहागल अजमेर



(जिनको इकसे बाद लीजधारक संबोधित किया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, के मध्य निष्पादित हुआ है। यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि 52580/- अक्षर पंचास पचास हजार के लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा नम्बर 1378 क्षेत्रफल 3433 वर्ग मी में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी तत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 52580/- अर्के जमाने द्वारा पंचास पचास हजार मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथासिद्धि, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

लीजधारक के हस्ताक्षर
सचिव
एक शिक्षा निकेतन समिति
अजमेर

प्रभारी अधिकार नियमन
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकारी 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जाएगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड का भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किंतु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारी का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिर्सीधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा और जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदायी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

लीजधारक के हस्ताक्षर
सचिव
राज्य शिक्षा निकेतन समिति
अजमेर

प्रभारी अधिकार नियमन
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

परिशिष्ट

कस्बे का नाम अजमेर पूर्व — पश्चिम — भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो
राजस्व ग्राम लोहागल सीमा उत्तर दक्षिण मानचित्र संलग्न है।
योजना का नाम

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
वर्गगज/मीटर 3433.0 Sq mts.

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.10 के माह 05 के 12 वे दिन

श्री ने निम्न उपस्थिति में

(स्थान) में हस्ताक्षर किये -

साक्षी:-

1. नाम अजमेर निकाय प्राधिकरण
पुत्र श्री अजमेर
व्यवसाय
निवास स्थान

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(प्रभारी अधिकारी नियमन)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

Sd
साक्षी

2. नाम
पुत्र श्री
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी

लीज धारक की ओर से

आज सन् 20.10 के माह 05 के 12 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में

उक्त श्री रेवकान्त लीजधारक द्वारा कार्यालय में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी:-

1. नाम सुनीता गौड़
पुत्र श्री श्री केदार नारायण गौड़
व्यवसाय अध्यापिका
निवास स्थान फरीदाबाद नगरपालिका अजमेर
2. नाम भगन सिंह

साक्षी

पुत्र श्री श्री धनराज सिंह
व्यवसाय अध्यापक
निवास स्थान फरीदाबाद नगरपालिका अजमेर

साक्षी

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1-SMT SAWTRI DEVI/LT.SH.RAMA

Age:64, Caste-VAISHNAV

Ocu.-BUS

R/O-GRAM BAWAL TEH PARBATSAR NAGORE

सावित्री देवी



(And Claimant)

1-SMT RENUKA TAK /RAKESH KUMAT TAK

Age:42, Caste-MALI

Ocu.-SERVICE

R/O-NAYA BADA POLICE LINE AJMER

रंजना देवी



ने लेख्यपत्र SALE DEED FOR FEMALE (CONVEYANCE DEED)

को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशी रु0 300000/- पूर्व में/मेरे

समक्ष/मे से रु0 300000/-पूर्व में

यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री RAM KARAN

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PUSA RAM उम्र 31 वर्ष

जाति PRAJPATI व्यवसाय FARMER

निवासी GRAM BAWAL TEH PARBATSAR NAGORE

रामचरण पुष्पादेव



2. श्री/श्रीमती/सुश्री MOHAN RAM

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRATAP RAM उम्र 32 वर्ष

जाति JAT व्यवसाय BUS

निवासी GRAM BAWAL TEH PARBATSAR NAGORE ने की हैं जिनके



समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2009005042)

उप पंजीयक, AJMER-2
(SALE DEED FOR FEMALE (CONVEYANCE DEED))





कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

4614

दिनांक: 5/11/14

लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की योजना / राजस्व ग्राम... जनेहागली...

खसरा नम्बर 1405 की भूखण्ड संख्या / आवास गृह सं.

श्री/श्रीमती/सुश्री राकेश शिखा निवेदन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री वीर सिंह व जयदल

जनेहागली द्वारा प्राधिकरण से

आवंटन / नीलामी / नियमन द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसकी वर्तमान लीज राशि रु.

55376 प्रति वर्ष है व राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन

विभाग की अधिसूचना संख्या प-10 यू.डी. एच/गुप-1/84 दिनांक 25-6-92 एवं संशोधन

अधिसूचना दिनांक 15-01-02 की पालना में एक बारीय नगर निर्धारण (लीज राशी) भू-

किराया राशि जो वार्षिक शहरी जमाबंदी की आठ गुना के बराबर राशि रुपये

443008 जरिये रसीद/चालान संख्या

167206 दिनांक 15/6/14 के द्वारा जमा करा दी है।

अतः इन्हें भविष्य में लीज राशि के दायित्व से छूट दी जाती है।

उपायुक्त 5/11/14

अजमेर विकास प्राधिकरण

अजमेर (राज.)

मुद्रक: माधु देवर्मा, अजमेर



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

2636

क्रमांक

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर - कृषित प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2014 के माह नवम्बर
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर प्रथम पक्ष एवं सु.श्री / श्री टाक शिखा निवेदन
पुत्र/पुत्री श्री जाति सागेली
निवासी सविन, रेनुका व/र वैशुभार एवं
बीर सिंह 310 गवर्नर लाल
लोहागल अजमेर



(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक के मध्य निष्पादित हुआ है। यह विलेख साक्ष्यकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की 692052/- राशि अक्षर 10 लाख रुपये के लीजधारक (पट्टा) के द्वारा अदा कर दी गई और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीज धारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है), प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा नम्बर 1405 क्षेत्रफल 2825 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी तत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभाग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 69437/- अंके इतर हारा नुसार मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निध्यारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथासमिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

लीजधारक के हस्ताक्षर
टाक शिखा निवेदन सविन



प्रभारी अधिकार नियमन
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकारी 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जाएगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड का भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किंतु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारी का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा और जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदायी संस्थाओं के पास भवन। निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

लेखक की स्ति
लीजधारक के हस्ताक्षर
शक विद्या निरक्षण सचिवालय
अजमेर



Sub Registrar
AJMER

प्रभारी अधिकार नियमन
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अनामक-15/05/2016
 लोक नगर
 नाम
 निवासी का नाम
 निवासी
 हस्ताक्षर
 हस्ताक्षर

28/05/2016 + 15/05/2016 = 43/05/2016
 अनामक-15/05/2016
 लोक नगर
 नाम
 निवासी का नाम
 निवासी
 हस्ताक्षर

महानगरिक अधिकारी

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/श्री (कन्या) (कन्या)
 1-SMT HANUKA TAE SHAKESH TAK
 Age 36, Date of Birth
 Occ. SHAKESH
 RIO-TAK (NANA NATA BAZAR POLICE LINE AJMER)



(Angeedant)
 1-VEER (NANA NATA SINGH)
 Age 36, Date of Birth
 Occ. SHAKESH
 RIO-TAK (NANA NATA BAZAR POLICE LINE AJMER)

मैं (कन्या) (कन्या) (कन्या) (कन्या)
 को यह दस्तावेज निम्नलिखित कारणों से
 प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।
 मैंने यह दस्तावेज निम्नलिखित कारणों से
 प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

उक्त श्री/श्रीमती/श्री (कन्या) (कन्या)
 1. श्री/श्रीमती/श्री (कन्या) (कन्या)
 पुत्र/पुत्री का नाम श्री/श्रीमती/श्री (कन्या) (कन्या)
 निवासी (कन्या) (कन्या) (कन्या) (कन्या)



2. श्री/श्रीमती/श्री (कन्या) (कन्या)
 पुत्र/पुत्री का नाम श्री/श्रीमती/श्री (कन्या) (कन्या)
 निवासी (कन्या) (कन्या) (कन्या) (कन्या)

समस्त दस्तावेजों के निम्नलिखित कारणों से प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Sub Registrar
 AJMER



परिशिष्ट

कस्बे का नाम अजमेर पूर्व पश्चिम भुखण्ड की संख्या यदि कोई हो
राजस्व ग्राम सीमा उत्तर दक्षिण मानचित्र संलग्न है ।

योजना का नाम

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल

वर्गगज/मोटर ... 2825 वर्गगज

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.11. के माह 11 के 05 वे दिन
श्री
..... ने निम्न उपस्थिति में
(स्थान) में हस्ताक्षर किये-

साक्षी :-

- नाम
पुत्र श्री
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पुत्र श्री
व्यवसाय
निवास स्थान

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(प्रभारी अधिकारी नियमन)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर 310114

साक्षी

लीज धारक की ओर से

आज सन् 20 के माह
के वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में
उक्त श्री
लीज धारक द्वारा कार्यालय में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम Sunita Gaur
पुत्र श्री K.N. Gaur
व्यवसाय RMD PRT
निवास स्थान फरीकवाड़ा गणतन्त्र अजमेर
- नाम विकास
पुत्र श्री अरुण कृष्ण
व्यवसाय अजमेर
निवास स्थान अजमेर

साक्षी

साक्षी

रसीद नं० 2007005325, 2007005330
पंजीयन शुल्क रु० 7200/-
प्रतिलिपि शुल्क रु० 200/-
पुष्पांकन शुल्क रु० 0/-
अन्य शुल्क रु० 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रु० 1800/-
कुल योग रु० 9200/-

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की भांतिगत रूपसे 720000
मान्य हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
रु० 1800 पर कमी पंजीयन शुल्क
रु० 7200 कुल रूपसे 9200
जारी रसीद संख्या 2007005325, 2007005330
में जमा किये गये हैं।
आत दस्तावेज को रूपसे 46000
के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है।

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 117
में पृष्ठ संख्या 120 क्रम संख्या 2007005324 पर
पंजीकृत किया गया तथा जतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 347
के पृष्ठ संख्या 172 से 176 पर
चरवा किया गया।


Sub Registrar
AJMER